

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 737]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 31, 2009/पौष 10, 1931

No. 737]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 31, 2009/PAUSA 10, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2009

सा.का.नि. 934(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 16 की उप-धारा (1क), उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खंड (घक), खंड (ङ) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप-महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अईताएं, वेतन, भत्ते और संवा के निबंधन और शतें) नियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप-महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हताएं, वेतन, भत्ते और सेवा के निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2009 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (अपर महानिदेशक, संयुक्त महानिदेशक, उप-महानिदेशक या सहायक महानिदेशक, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की संख्या, उनकी नियुक्ति की रीति, अर्हताएं, वेतन, भत्ते और सवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2009 में,—
 - (i) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"भर्ती की प्रक्रिया.—महानिदेशक के कार्यालय के अपर, संयुक्त, उप या सहायक महानिदेशक और अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की भर्ती केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची-3 में यथ्राविनिर्दिष्ट रीति में की जाएगी।

(ii) अनुसूची-2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

4760 GI/2009 - | A

||नयम ७ दख|

च्ये के वर्गा-भरण चेतनकार पाया थी का की अपने को प्रीपी करानी करिया के साम करानी करा							liet		in Dr.	- 4 4 -			- H
संस्था अवस्था प्राप्त कर्नुवा प्राप्त कर्नुवा प्राप्त कर्नुवा प्राप्त कर्नुवा कर्नुव	पदाँ की	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन		ì			_	1	_		1
पर किन्निय संपाद किन्नीय क्षेत्र संपाद किन्नी	संख्या			अथवा	गए वर्षीका	भर्ती	भर्ती					1	1
शिक्षित सेता माने (र्व्वचन) प्रतिक्षित सेता माने (र्व्वचन) प्रतिक्ष सेता प्रतिक्ष सेता सिक्ति स	[अचयन	फायदा	किए	किए	वाले व्यक्तियाँ	अवधि		या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण कियां जाएगा।		
(विजन) - तिया 1972 किस कि		j		पद	केन्द्रीय	जाने	जाने	के लिए	यदि	या प्रतिनियुक्ति/	`	उंसकी संरचना	तियों में
तियम 1972 के तिथा के दिश्य अहंतार्थ प्रधानिकों की प्रधान के तिथा के विश्व अहंतार्थ के तिथा के किया जाने को की तिथा के की तिथा के की तिथा की की ति]				सिविल सेवा	याले	वाले	विहित आयु	कोई हो।	आमेलन द्वारा			संघ लोक
के जिया 30 अपूर्व के अपीत मा अविदार के अपीत म	1 1				(पॅशन)	- व्यक्ति-याँ	ट्यक्तियाँ	और शैक्षिक		तथा विभिन्न			सेवा
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (10) (15) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10	1		,	!	नियम, 1972	के लिए	के लिए	अर्हताएं		पद्धतियाँ द्वारा			आयोग से
के अपीत अनुतेर हैं या जीए कार्य प्रशासन किया अनुतेर हैं या जीए कार्य प्रशासन किया अनुतेर हैं या अस्तार के अप कार्य प्रशासन किया अनुतेर कार्य कार कार्य का	1				·		l			भरी जाने वाली			परामर्श
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (1007)* लानू नहीं 37,400- एसना सेंसा अपना सेंसा सेंसा अपना प्राप्त करें के अपना अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी अपनी								1		रिक्तियों की			किया
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (10) (10) (11) (12) (12) (13) (14) (14) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16						5 ,,							जाएगा।
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (12) (13) (14) (1000) तामू नहीं 37,400- चयन लागू नहीं लागू लहीं होता जाने होता लागू नहीं होता जाने होता होता होता होता होता होता होता जाने होता जाने होता होता होता होता होता होता होता होता					-			"		""			
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (6) (9) (10) (11) (12) (12) (13) (14) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19				ŀ	-बहा			श्रमाया संस					
(एक) तानू नहीं 37,400- तानू नहीं तानू नहीं तानू नहीं होता होता होता होता होता												(2)	
1 (एक) सामू नहीं 37,400 यमन तामू नहीं सेता	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)				l		
(2009) हेता 67,000- रूपए + वेड वेतन 8900 कर्पण पात्र कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर					~						1	1	
स्थाप ने केड के आधार पर ने केड के त्राचार कराया है। पर पार्यवर्गत किया जा कर्मणा ने विश्विष्ण कर्मण कर्मणा कर्मण	1 (एक)*		1	चयन	1			होता	नहीं				होता।
े श्राप्याप्त के आधार प्राप्त के श्राप्य के	(2009)	होता	67,000/-		होता			i	होता	संविदा द्वारा	अखिल भारतीय या केन्द्रीय सिविल सेवा	से मिलकर	
के आधार पर स्वाप्त क्षेत्र के प्रतिक्षित क्षेत्र क् वित्र क्षेत्र कष्ण कष्ण कष्ण कष्ण कष्ण कष्ण कष्ण कष्ण			रुपए + ग्रेड	1		होता	1				'समूह क' या स्वायतशासी संगठनों या	बर्नगी :	
पर परिवर्षत किया जा सकति पर वाणिज्य में सहिता विकि पर वाणिज्य में सहिता विका पर वाणिज्य में सहिता विका पर वाणिज्य में सहिता वाणिज्य में सहिता वाणाज्य पर वाणाज्य वाणाज्य वाणाज्य पर वाणाज्य वाणाज्य वाणाज्य वाणाज्य वाणाज्य वाणाज्य पर वाणाज्य	1		वेतन ८९००								विनियामक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालयों या	· _	
परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन केया साहच्य पद या सेवाल है तथा कामत संस्थाप स्वाच्च्य पद या सेवाल है तथा कामत संस्थाप पद या सेवाल है तथा कामत संस्थाप पद या सेवाल है तथा सम्मत्व में अपने में वा सेवाल या सम्मत्व में अपने में वा सेवाल विकास के स्वाच्च पद या सेवाल के स्वाच्च पद या सेवाल केया या सम्मत्व में अपने में अपने में वा महा है। परितरप्या मुद्दों से संबंधित वितीय विशेषणा में अपने या सरकार द्वारा मानानेदितित विशेष मेया सम्मान्दित्त मानानेदितित विशेष मेया सम्मान्दित्त सेवा सम्मान्दित्त सेवा सम्मान्दित्त सेवा सम्मान्दित्त सेवा सम्मान्दित सेवा सम्मान्दित्त सेवा सम्मान्दित्त सेवा सम्मान्दित सेवा सम्मानेदित सेवा सम्मान्दित सेवा सम्मान्दित सेवा सम्मान्दित सेवा सम्मानेदित सेवा सम्मान्दित सेवा सम्मान्दित सेवा सम्मान्दित सेवा सम्मानेदित सेवा सम्मान्दित सेवा सम्मान्दित स्वाच्य सम्मानेदित सेवा सम्मानेदित सेवा सम्मानेदित स्वाच सम्मानेदित स्वच सम्मानेदित सम्मानेदित स्वच सम्मानेदित स्वच सम्मानेदित	के आधार		रुपंए	Ì				}			अकादमिक या अनुसंधान संस्थानों आदि से		
किया जा सकता है। किया जा सकता है। किया जा सकता है। किया जा सकता है। किया जा सकता है। किया जा सकता है। किया जा सकता है। किया जा सकता कर रहे हैं या 8700 रूपए के ग्रेड चेतन वा में दो वर्ष का अनुभव है और किसी आर्थिक विधि के अधीन अनुभव है किया नहीं किया नहीं किया जा कि	पर		İ					1			ऐसे अधिकारी जिनके पास वाणिज्य में	कारपोरेट कार्य	
तिया जा सकता है। सिवा या लागत संकर्म तेखायात है तथा नियमित आपार पर साइश्य पद या क्षेणों में काम कर रहे हैं या 8700 रुपए के ग्रेड दोतन या समदुत्य में छह वर्ष का अनुभव है और किसी आर्थिक विधि के अधीन अनुभय रखता है। 1 (एक) काम कर है जिस अपित विशेष का अनुभय है और किसी आर्थिक विधि के अधीन अनुभय रखता है। 2 पंछनीय : 1 (एक) लागू नहीं (2009) होता 67,000/- उपए भेड वेतन 8900 हेता 67,000/- उपए भेड वेतन 8900 हेता का जाए सेता होता के आधार पर परिवर्तन किसा आवश्यक स्थिय वा ग्रेड क्षेत्र सेवा सेता महीं होता विशेष का स्थाप सेता कार्य का अनुभय है और किस महीं होता सेता महीं होता विशेष का स्थाप सेता कार्य का अनुभय है और किस महीं होता सेता महीं होता सेता कार्य का अनुभय है और किस महीं होता सेता महीं होता सेता कार्य का स्थाप स्थापतारावी संगठनों या विनियासक प्राधिकराणों या विशेषणालयों या अकादिमिक सेवा समहा का या आवादिमक प्राधिकराणों या विशेषणालयों या अकादिमिक सेवा समहा का या अविवर्तिक सेवा समहा का या विनियासक प्राधिकराणों या विशेषणालयों या अकादिमक प्राधीकर कार्य संवित्र कार्य संवित्र कार्य संवित्र कार्य सेता अर्थ। संवित्र सेवा समहा का या विनियासक प्राधिकराणों या विशेषणालयों या अकादिमक प्राधीर कार्य संवित्र कार संवित्र के सार्य संवित्र कार संवित्र का	परिवर्तन	ļ	ļ				l				मास्टर डिग्री या कारबार प्रशासन (वित्त) में	मंत्रालय, अध्यक्ष	
सिव्य या लागत संकर्म तेखापाल है तथा जियापाल है तथा विकास कर है वेतन वा तथा है जियापाल है तथा के अनुभव है और किसी आर्थिक विधि के अधीन अनुभव रखता है। (एक)* लागू नहीं 37,400- चयंत जागू नहीं होता जियापाल है तथा जिए है तथा जियापाल है तथा है तथा जियापाल है तथ	किया जा					<u> </u>		ĺ			1	(ii) भारत के	İ
नियमित आधार पर साइश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या 8700 रुपए के ग्रेड देवल या समृतन्य में उह वर्ष का अनुभव है और किसी आर्थिक विधि के अधीन अनुभव रखता है। 1 (एक)* लागू नहीं 37,400- चयंन लागू नहीं होता नहीं होता कहीं होता अध्याय सम्प्रताह वा विभाग कहीं विभाग कहीं होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता अध्याय सम्प्रताह वा विभाग कहीं होता कही होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता है होता कहीं होता कहीं होता है होता कहीं होता है होता कहीं है है है है है है है है है है है है है	सकता है।	ļ			1	· .		İ				प्रतिस्पर्धा	
ताम कर रहे हैं से शहर वर्ष का अनुभव है और के स्वेह देतन या सम्मृतत्य में एक वर्ष का अनुभव है और किसी आर्थिक विधि के अधीन अनुभव रखता है। (एक)* तामू नहीं (2009) होता 67,000/- कपए चेड देतन 8900 के आपार परितन्ति कर्ष का अनुभव है और किसी आर्थिक विधि के अधीन अनुभव रखता है। (एक)* तामू नहीं (2009) होता 67,000/- कपए चेड देतन 8900 कपए वित्ति क्षेत्र का स्वेह का स्		Ì		ļ.			}				i	आयोग का	
त्राम कर रहे हैं वार्ष का या 7600 रुपए, बेड बेतन या संयुक्त संचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय या प्राप्तिस्पर्धा मुद्दों से संबंधित वितीय विश्वेषणा मं अनुमय। - तागू नहीं जिल्ली आर्थिक वितीय विश्वेषणा मं अनुमय। - तागू नहीं वार्ष नहीं से संबंधित वितीय विश्वेषणा मं अनुमय। - तागू नहीं वार्ष नहीं से संबंधित वितीय विश्वेषणा मं अनुमय। - तागू नहीं वार्ष प्रितिन्युक्ति द्वारा मान-निर्देशित विशेषक संवस्य सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विशेषक संवस्य सरकार विश्वेषक संवस्य स्वस्य सम्बद्ध के अवस्य सम्वस्य सम्बद्ध के अवस्य सम्य सम्बद्ध के अवस्य सम्बद्ध के अवस्य सम्य सम्य सम्बद्ध के अवस्य सम्बद्ध के			ł		Ì		į.						
त्र त्या विश्व के अनुसव है और किसी आर्थिक विश्व के अभुसव है और किसी विश्व का सही होगा - सदस्य (iii) केस्त्रीय सरकार है। 1 (एकः)* लागू नहीं 37,400- चयंत लागू नहीं लागू होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता के आप स्वयं के अभ्यं		{	ŀ								1		
तिये का नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता के आधार प्राप्त कर के आधार पर परिवर्तन में अध्यार कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर कर		j				1							
१ (एक) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हिला कार्य के अधार के अ					1							1	
(iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित यिरोप निर्मा विक्षेषणी मुद्दों से संबंधित वित्तीय विक्षेषणी विक्षेषणी निर्मान निर्देशित विर्ताय केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विर्ताय विक्षेषणी में अनुभय। - लागू नहीं लागू होता नहीं है				Į.					1				
वांग्रनीय : सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विश्लेषणों में अनुभव। 1 (एक)* लागू नहीं 37,400- चयंन लागू नहीं होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता कहीं होता कर्माय विश्लेषण होता कर्माय वांग्रनीय आर्थिक सेवा या स्वाप्त नाम निर्देशित होता। *कार्यभार के आधार पर पर परिवर्तन विश्लेष कर्माय किया वांग्रनीय आर्थिक सेवा या स्वाप्त नाम निर्मा कर्माय किया वांग्रनीय आर्थिक सेवा या स्वाप्त नाम निर्मा कर्माय किया वांग्रनीय आर्थिक सेवा या स्वाप्त नाम अर्थशास्त्र या अन्तर्दिक कर्माय वांग्रनीय आर्थिक सेवा या स्वाप्त नाम अर्थशास्त्र या अन्तर्दिक कर्म अभिवर्त कर्म अभिवर्				1	İ				Į		₹ 1	1 -]
(एक)* तागू नहीं 37,400- व्ययंत तागू नहीं तागू नागू नहीं तागू नहीं तागू नहीं तागू नहीं तागू नागू नागू नागू नागू नागू नागू नागू न		1	1					1		1	l . .		
प्रतिस्पर्धा मुद्दों से संबंधित वित्तीय विश्लेषणों तें अमुभव। लागू नहीं ताण्य महीं लागू प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रतिनियुक्ति द्वारा आवश्यक : (2009) होता 67,000/- रुप्ता भर्प भेड वेतन 8900 रुप्त पर्प परिवर्तन प्रति अभ्राधार प्रतिनियुक्ति द्वारा अभ्रावश्यक : को आधार पर्पायनशासी संगठनाँ या विनियासक प्राधिकरणों या विनियासक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालयों या अकादिसक या अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अभ्राक्ति विन्यास्त अभ्राधार में मास्टर		ļ	}	1		ļ		1			याछनीय :	1	
# अनुभय। *** अनुभय। *** अ								1	1			1	
- तागू नहीं 37,400- चयत तागू नहीं तागू नहीं होता जागू नहीं होता नहीं होता नहीं होता जागू नहीं होता। *कार्यभार वेतन 8900 रूपए पर पर परिवर्तन किया जा			1						1			विशेष ज	
1 (एक)* लागू नहीं 37,400- चयंत तागू नहीं लागू नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं या अल्पकातिक होता। विम्नलिखित होता। नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं व्या अल्पकातिक होता। नहीं या अल्पकातिक होता। नहीं या अल्पकातिक होता। नहीं या अल्पकातिक होता। नहीं या अल्पकातिक होता। नहीं या अल्पकातिक होता। नहीं या अल्पकातीय या केन्द्रीय सिविल सेवा या समूह 'क' या भारतीय आर्थिक सेवा या स्यायतशासी संगठनों या विनियासक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालयों या अकादिसिक या अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास अर्थशास्त्र में मास्टर				1	1			· ·			म अनुभव।		
1 (एक)* लागू नहीं 37,400- चयंत लागू नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं च्या अल्पकालिक होता। अखिल भारतीय या केन्द्रीय सिविल सेवा या केन्द्रीय सिविल सेवा या समूह 'क' या भारतीय आर्थिक सेवा या स्यायतशासी संगठनों या विनियासक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालयों या अल्पचेत्रित कार्य केन्त्रा विस्तित्व होता। स्वायतशासी संगठनों या विनियासक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालयों या अल्पचेत्र कार्य केन्त्रात्व कार्य		 	 	1				सागू नहीं	लागू	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारं :	घयन समिति	लागू नहीं
(2009) होता 67,000/- रूपए + येड *कार्यभार के आधार पर पर पर पर पर पर पर पर पर	1 (एक)*	लागू नहीं	37,400-	चयंत	लागू नहीं	लाग्		1		_	-	निम्नलिखित	होता।
*कार्यभार वेतन 8900 के आधार पर पर परिवर्तन पर किया जा जा किया जा किया जा किया जा किया जा किया जा किया जा किया जा किया	(2009)	होता	67,000/-		होता	नहीं			होता	संविदा द्वारा	अखिल भारतीय या केन्द्रीय सिविल सेवा	से मिलकर	
*कार्यभार वेतन 8900 के आधार एर एर पिकरणों या विनयामक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालयों या अकादमिक पारिवर्तन किया जा अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास अर्थशास्त्र में मास्टर	}		रुपए + ग्रेड		1	होता						वनेगी :	
के आधार रूपए प्राधिकरणों या विश्वविद्यालयों या अकादमिक पर पर परिवर्तन अधिकारी जिनके पास अर्थशास्त्र में मास्टर	*कार्यभार	1	वेतन ४९००		1								1
पर या अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे परिवर्तन किया जा	के आधार					-				1		(i) सचिव,	
परिवर्तन अधिकारी जिनके पास अर्थशास्त्र में मास्टर मंत्रालय,	पर												
किया जा	परिवर्तन				1						1 . 3	मंत्रालय,	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	किया जा				1	}		ļ	!		i	1	
सकता है।	1 .				1				1		डिग्री या सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर	\$1.5741	

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	(-)	(-)									रहे हैं या 8700 रुपए के ग्रेड वेतन में दो वर्ष का या 7600 रुपए ग्रेड वेतन में छह वर्ष का या समेतुल्य अंनुभव है अथवा किसी आर्थिक विधि के अधीन अनुभव है। वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव।	(ii) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रतिलिपि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से लीचे का लहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा लाम-लिर्देशित विशेषज्ञ - सदस्य	
3. अपर महानिदेशक (विधि)	2 (दो)* (2009) *कार्यक्षार के आधार पर परियर्तन किया जा सकता है।	लागू वहीं होता	37,400- 67,000/- रुपए + ग्रेड येतन 8900 रुपए	चयत	लागू नहीं होता	तागू नहीं होता		सागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संविदा द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा : आवश्यक : अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क' या भारतीय विधि सेवा या भारतीय कारपोरेट विधि सेवा या स्यायतशासी संगठनों या विनियामक प्राधिकरणों या विश्वविद्यालयों या अनादमिक या अनुसंधान संस्थानों या न्यायिक संस्थानों से ऐसे अधिकारी जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक डिग्री है तथा सादृश्य पद या श्रेणी में काम कर रहे हैं या ४७०० रुपए के बोड वेतन में दो वर्ष का या ७६०० रुपए बेड वेतन में छह वर्ष का या समतुल्य अनुभव है। वाछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव।	चयह समिति निम्नितिषित से मितकर बतेगी: (i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अध्यक्ष (ii) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय	लाग् नहीं होता।
4. संयुक्त महानिदेशक (वित्तीय विश्लेषण)	2 (दो)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सफता है।	लागू नहीं होता	37,400- 67,000/- रुपए + ਗੇਂड ਕੇਜਜ 8900 रुपए	चयन	लागू वहीं होता	लाग् नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संविदा द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा : आवश्यक : अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क'/स्वायतशासी संगठन/विनियामक प्राधिकरणों/विश्विवालयों/अकादमिक/ अनुसंधान संस्थानों से ऐसे अधिकारी जिनके पास याणिज्य में मास्टर डिग्री/कारयार प्रशासन (वित्त) में मास्टर डिग्री/चार्टर्ड अकाउंटेट/कम्पनी सचिव/लागत और संकर्म	सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विशेषज्ञ सदस्य चयन समिति निम्नितिखित से मिलकर यनेगी: (i) सचिय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अध्यक्ष (ii) भारत के	लागू नहीं होता।

भारत का राजपत्र : असाधारण

။ယ

[भाग II—खण्ड 3(i)]

		т	T		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(14)
संयुक्त निदेशक र्थशास्त्र)	3 (तीन)* (2009) *कार्यमार के आधार पर परियर्तन किया जा सकता है।	ताग् नहीं होता	(4) 37,400- 67,000/- रुपए + थेड थेतन 8700 रुपए	(5)	सम् नहीं होता	लागू नहीं होता '	(8)	ताग् नहीं होता	(10) लागू नहीं होता		तेखापाल है तथा साहश्य पद/श्रेणी या 7600 रुपए के ग्रेड येतन में पाँच यर्ष या 6600 रुपए के ग्रेड येतन में पाँच यर्ष या 6600 रुपए ग्रेड येतन में दस वर्ष का या समतुत्य काम रह रहे हैं और जिनके पास किसी आर्थिक विधि के अधीन अन्येषण का अनुभय है। यांछनीय: प्रतिस्पर्धा मुद्दों से संबंधित वितीय विशेषण में अनुश्रव। प्रतिनियुक्ति द्वारा: आवश्यक: अखिल भारतीय सेवा या केन्द्रीय सिविन सेवा समूह 'क'/भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांक्रियकीय सेवा/स्वायतशासी संगठनों या विनियामक प्राधिकरणां/विश्वविद्यालयां/अकादमिक/ अनुसंधान संस्थानों आदि से ऐसे अधिकारी जिनके पास अर्थशास्त्र/सांक्रियकी में मास्टर डिग्री है और साहश्य पद/ग्रेड या 7600 रुपए के ग्रेड येतन में पाँच वर्ष या 6600 रुपए ग्रेड येतन में दस वर्ष से या समतुरूय कार्य रह रहे हैं और जिनके पास किसी आर्थिक विधि के अधीन अन्येषण का अनुभव है। यांछनीय:	प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रतिनिधि, जो संयुक्त संविय के स्तर से तीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विशेषज्ञ सदस्य चयन समिति निम्निधित से मिलकर बनेगी: (i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अध्यक्ष (ii) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रतिनिधि, जो संयुक्त संचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य	तागू नहीं होता।
6. संयुक्त महानिदेशक (विधि)	.3 (तीन)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	होता	37,400- 67,000/- रुपए + ग्रेड चेतन 8700 रुपए	चयन	लागू वहीं होता	लाग् नहीं होता		साग् नर्ही होता	लाग् नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संविदा द्वारा		बनेगी : (i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय,	तागू वहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(?)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	<u> </u>
											पद या ग्रेड में अथवा 7600 रुपए के ग्रेड वेतन में पाँच वर्ष या 6600 रुपए ग्रेड वेतन में दस वर्ष का या समतुल्य काम किया हो और जिनके पास किसी आर्थिक विधि के अधीन अन्वेषण का अनुभव है। यांछनीय:	आयोग कां प्रितिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विशेषज्ञ सदस्य		[भाग II—खण्ड 3(i)]
7. 34-	4 (चार)*	लागू नहीं	15,600-	लागू	लागू नहीं	लागू		लागू नहीं	लागू	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा :	चयन समिति	लागू नहीं	1
महानिदेशक	(2009)	होता	39,100/-	नहीं	होता	नहीं		होता	नहीं	या अल्पकालिक	आवश्यक :	निम्नलिखित	होता।	
(वित्तीय			रुपए + ग्रेड	होता		होता			होता	संविदा द्वारा	अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा	से मिलकर]
विश्लेषण)	*कार्यभार		वेतन								समूह 'क'/स्वायतशासी संगठनों/विनियामक	वनेगी :		
	के आधार		7600 रुपए	İ		}					प्राधिकरणों/विश्वविद्यालयों/अकादमिक/	(i) सचिव,		
İ	पर परिवर्तन										अनुसंधान संस्थानों आदि के ऐसे अधिकारी	कारपोरेट कार्य		
	किया जा										जिनके पास वाणिज्य में मास्टर डिग्री हो/वित और लेखे के साथ कारबार प्रशासन में मास्टर	मंत्रालय,		$\ \ $
	सकता है।			1					, i		डिग्री/चार्टर्ड अकाउंटेंट/कम्पनी सचिव/लागत	अध्यक्ष		<u> </u>
									İ		और संकर्म लेखापाल है और जो साहश्य	(ii) भारत के		
								}			पद/श्रेणी या 6600 रुपए के बेड वेतन या	प्रतिस्पर्धा		의 건
				ĺ							समतुल्य में पाँच वर्ष काम किया हो और	आयोग का		राजपत्र
			1								किसी आर्थिक विधि के अधीन अन्वेषण का	प्रतिनिधि, जो		ᆘᄱ
1				İ							अनुभव है।	संयुक्त सचिव		<u>위</u>
						ł	ļ				वांछनीय :	के स्तर से नीचे का नहीं		असाधारण
											,	होगा - सदस्य		곀
			:						.[प्रतिस्पर्धा विधि मैं अनुभव।	(iii) केन्द्रीय		
,		ļ										सरकार द्वारा		
						İ						नाम-निर्देशित		
		!						'				विशेषज्ञ		
									<u> </u>			सदस्य .		
8. उप-	3 (ਨੀਕ)*	लागू नहीं	15,600-	चयन	लागू नहीं	तागू		लागू नहीं	लागू	प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा :	चयन समिति	लागू नहीं	
महानिदेशक	(5002)	होता	39,100/-		होता	नहीं		होता	नहीं	या अल्पकालिक	आवश्यक :	निम्नलिखित से मिलकर	होता।	
(अर्थशास्त्र)	•कार्यभार		रुपए + ग्रेड			होता			होता	संविदा द्वारा	अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क'/भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय	से मिलकर बनेगी :		
	के आधार		वेतन ७६०० रूपए								संख्यिकी सेवा/स्वायतशासी	जिल्ला,		$\ \ $
	पर		7800 844								संगठनाँ विनियामक	(i) सचिव,		
	परिवर्तन						1				प्राधिकरणों/विश्वविद्यालयों/अकादमिक/	कारपोरेट कार्य		
	किया जा										अनुसंधान आदि से ऐसे अधिकारी जिनके	मंत्रालय,		
	सकता है।										पास अर्थशास्त्र/सांख्यिकी में मास्टर डिग्री है	अध्यक्ष		
									1.	1	और जो सादृश्य पद/ग्रेड में कार्य कर रहे हैं	(ii) भारत के		l IIv
			1.							İ	या 6600 रुपए के ग्रेड वेतन या समतुल्य	प्रतिस्पर्धा आयोग का		
	1		1 '	1	1	1			1	I	i	आयाग का]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
									-		पाँच वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास किसी आर्थिक विधि के अधीन अन्वेषण का अनुभव है। वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव।	प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा - सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विशेषज्ञ सदस्य	
9. उप- महानिदेशक (विचि)	8 (आठ)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लाग् नहीं होता	15,600- 39,100/- रुपए + ग्रेड चेतन 7600 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	ताग् नहीं होता	•	लागू नहीं होता	लाम् वर्झ होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संविदा द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा : आवश्यक : अखिल भारतीय सेवा/केन्द्रीय सिविल सेवा समूह 'क'/भारतीय विधि सेवा/स्वायतशासी संगठमाँ/विनियामक प्राधिकरणाँ/विश्विवालयाँ/अकादिमक/ अनुसंधानं/न्यायिक संस्थाओं आदि के ऐसे अधिकारी जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्ववियालय से विधि में स्नातक डिग्री हो और जिन्होंने साहश्य पद/ग्रेड में कार्य कर रहे हो या 6600 रुपए के ग्रेड वेतन के समतुन्य में पाँच वर्ष की सेवा की हो या किसी आर्थिक विधि के अधीन अन्वेषण का अनुभव है। वांछनीय : प्रतिस्पर्धा विधि में अनुभव।	चयन समिति िवम्नितिष्ठित से मितकर बनेगी: (i) सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अध्यक्ष (ii) मारत के प्रतिस्पर्धा भायोग का प्रतिनिष्, जो संयुक सचिव के स्तर से तीचे का नहीं होगा – सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित विशेषज	लागू नहीं होता।
10. उप- महानिदेशक (कारपोरेट सेवा)	1 (एक)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लागू नहीं होता	15,600- 39,100/- रुपए + ग्रेड येतन 7600 रुपए	ਚ ਧ ਜ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संविदा द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा : किसी मान्यता पाप्त विश्वविद्यालय से विद्या की किसी शाखा में स्तातक डिग्री या समतुल्य। आवश्यक : ऐसे अधिकारी जो साहश्य पद/या ग्रेड में काम कर रहे हैं या जिन्हें सुसंगत क्षेत्र (स्थापना)निजी प्रबंधन/सचिवीय व्यवसाय/प्रशासन में 6600 रुपए या समतुल्य के ग्रेड वेतन में पाँच वर्ष का अनुभव है।	चयन समिति निम्नितिखित से मिलकर बनेगी: (i) सचिय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अध्यक्ष (ii) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का	लागू नहीं होता।

.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(i)]

					200	का	प्रातस्पधा	
समतुल्य के	गड	यतन	41	पाच	qq	411	भायोग ं	का
अनुभव है।					_		3,,	
1 0,-3-, 1								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
											यांग्रजीय : उच्चतर अर्हता और अनुभय को वरीयता दी जाएगी।	प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा – सदस्य (iii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम-निर्देशित चिशेषज्ञ सदस्य	
11. सहायक महानिदेशक (कारपोरेट सेवा)	3 (तीन)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परियर्तन किया जा सकता है।	ताग् नहीं होता	15,600- 39,100/- रुपए + ग्रेड येतन 6600 रुपए	चयत	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		तागू नहीं होता	लाग् नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकातिक संविदा द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विद्या शाखा में स्नातक डिग्री या समतुल्य। आवश्यक : ऐसे अधिकारी जो सादृश्य पद/ग्रेड पर काम कर रहे हैं या जिन्हें सुसंगत क्षेत्र (स्थापना)/निजी प्रवंधन/सचियीय व्यवसाय/प्रशासन में 5400 रुपए के ग्रेड वेतन में पाँच वर्ष का या 4800 रुपए ग्रेड वेतन में छह वर्ष का या 4200 रुपए ग्रेड वेतन में सात वर्ष का या 4200 रुपए का ग्रेड वेतन में दस वर्ष का या समतुल्य अनुभव है।	चयन समिति निम्निलेखित से मिलकर बनेगी: (i) संयुक्त सचिय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - अध्यक्ष (ii) भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग का ऐसा प्रतिनिधि, जो निदेशक के स्तर से नीचे का न हो - सदस्य (iii) बाहर से ऐसा विशेषज्ञ, यदि आवश्यक समझा जाए तो समिति द्वारा सहयोजित किया जा सकेगा - सदस्य	लागू नहीं होता।
12. कार्यालय प्रवंधक (कारपोरेट सेवा)	4 (चार)* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा	लागू नहीं होता	9300- 34,800/- रुपए + ग्रेड येतन 5400 रुपए	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		ं लागू नहीं होता	तागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा या अल्पकालिक संविदा द्वारा	ऐसे अधिकारी जो साहश्य पद/योड में काम कर रहे हैं या जिन्हें सुसंगत क्षेत्र (स्थापना)/निजी प्रबंधन/सचिवीय व्यवसाय/प्रशासन में 4800 रुपए के ग्रेड वेतन में दो वर्ष का या 4600 रुपए येड वेतन में तीन वर्ष का या 4200 रुपए येड वेतन में तीन वर्ष का या समतुल्य अनुभव	चयन समिति तिम्बतिखित से मितकर बतेगी: (i) संयुक्त सचिय, कारपीरेट कार्य	लागू नहीं होता।

भाग II—खण्ड 3(1)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	. (7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	सकता है।										<u></u>	मंत्रालय -	
									}			अध्यक्ष	}
	-			ļ					·		यांछनीय :	(ii) 3प)
											उच्चतर अर्हता और अनुभय को वरियता दी	सचिय,	1
		,									जाएगी।	कारपरिट कार्य	
1				1							·	मंत्रालय -	1
												सदस्य	
			•									(iii) भारत के प्रतिस्पर्धा	
				1								प्रातस्पर्धा आयोग का	ļ
											•	प्रतिनिधि, जो	
!				ĺ								उप सचिव के	
}				ļ								स्तर से नीचे	
												का नहीं होगा	
L		<u> </u>		L	l					····		- सदस्य	

[फा. सं. 5/25/2007-आई.जी.सी./सी.एस.] पी. डी. सुधाकर, विशेष सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड ३, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 338(अ), तारीख 15 मई, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 439(अ), तारीख 23 जून, 2009 द्वारा पश्चात् संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2009

G.S.R. 934(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (da), (e) and (f) of sub-section (2) of section 63 read with sub-sections (1A), (3) and (4) of section 16 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Rules, 2009, namely: -

- 1. (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) second Amendment Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Competition Commission of India (Number of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General other officers and employees, their manner of appointment, qualification, salary, allowances and other terms and conditions of service) Rules, 2009,-
- (i) for rule 7, the following shall be substituted, namely:-
- "7. Procedure for Recruitment.- The recruitment of Additional, Joint, Deputy or Assistant Director-General and officers and other employees of the office of Director-General shall be made by the Central Government in the manner as specified in schedule-III
- (ii) after Schedule II, the following schedule shall be inserted, namely:- $4760 \ GI/c9-2$

Name of Post	Number of Post	Classification	Pay band with Grade pay or pay scale	Whether selection Post or non- selection Post	Whether benefit of added years of services admissible under the rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules 1972.	Age Limit for direct recruits	Educational and other qualificatio ns required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or transfer or grades from which promotion or deputation or transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	es in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(1) 1. Additional Director- General (Financial Analysis)	1(One)*(200 9) *Subjecto variation dependent on work load	applicable	(4) Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs.8900	(5) Selection	Not Applicable	Not applicable	(8)	(9) Not applicable	(10) Not applicable	(11) By deputation or short term contract	By Deputation: Essential: Officers of the All India Services or Central Civil Services Group 'A' or Autonomous Organisations or Regulatory Authorities or Universities or Academic or Research Institutions etc. having a Master's Degree in Commerce or Master's Degree in Business Administration (Finance) or Chartered Accountant or Company Secretary or Cost Accountant and working in analogous post or grade or two years experience in the grade pay of Rs.8700 or six years in the grade pay of Rs.7600 or equivalent, and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Financial Analysis related	Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central Government - Member .	

le E

: 3(i)]

7
60
_
ਹ
ő
٩
СИ

1 1	2	, 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Additional Irector-	*1(one) (2009)	Not applicable	Rs. 37400- 67000	Selection	Not Applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	By Deputation: Essential: Officers of the All India	Selection Committee consisting of : -	Not applicable
eneral conomics)	*Subject to variation dependent on work load		Grade Pay Rs.8900					•		•	Services or Central Civil Services Group 'A' or Indian Economic Service or Autonomous Organisations	(i) Secretary, Ministry of Corporate Affairs -	
											or Regulatory Authorities or Universities or Academic or Research Institutions etc. having a Master's Degree	Chairman (ii) Representative of, Competition	
				i.							in Economics and working in analogous post or grade or two years experience in	Commission of India not below the level of Joint	
											the grade pay of Rs.8700 or six years in the grade pay of Rs.7600 or equivalent. and having experience in	Secretary - Member (iii) Expert nominated by	
									·		investigation under any economic law. Destrable: Experience in Competition	the Central Government - Member	
Additional irector- eneral	2* (Two (2009) *Subject to	Not applicable	Rs. 37400- 67000	Selection	Not Applicable	Not applicable	\	Not applicable	Not applicable	By deputation o short term contract	By Deputation: Essential: Officers of the All India	Selection Committee consisting of : -	Not applicabl
aw)	variation dependent on work load		Grade Pay Rs.8900								Services/ Central Civil Services Group 'A' or Indian Law Service or Indian Corporate Law	(i) Secretary, Ministry of Corporate Affairs -	
,											Service or Autonomous Organisations or Regulatory Authorities or	Chairman (ii) Representative	
				\ \ \							Universities or Academic or Research or Judicial Institutions having Bachelor's Degree in Law	of, Competition Commission of India not below the level of Joint	
									·		from a recognised university and working in analogous post or grade or two years experience in the	Secretary - Member (iii) Expert nominated by	
											grade pay of Rs.8700 or six		

1	2	. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											years in the grade pay of Rs.7600 or equivalent, and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Law.	Government- Member	
4. Joint Director- General (Financial Analysis)	2(Two)*(20 09) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs. 37400- 67000 + Grade Pay Rs.8700	Selection	Not Applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	By Deputation; Essential: Officers of the All India Services or Central Civil Services Group 'A'/ Autonomous Organisations/ Regulatory Authorities/Universities/ Academic / Research Institutions with a Master's Degree in Commerce/ Master's Degree in Business Administration (Finance)/Chartered Accountant/Company Secretary/Cost and Works Accountant and working in analogous posts / grade or five years in the grade pay of Rs.7600 or ten years in the grade pay of Rs.6600 or equivalent, and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in financial analysis related to competition issues	Selection Committee consisting of :- (i) Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central Government - Member	Not applicable
5. Joint Director- General	3(Three) *(2009) *Subject to	Not applicable	Rs. 37400- 67000 +	Selection	Not Applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	By Deputation: Eligibility: Essential:	Selection Committee consisting of : -	Not applicable

	[भाग II— खण्ड 3(i)]
icable	भारत का राजपत्र : असाधारण
	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14
Economics)	variation dependent on work load		Grade Pay Rs. 8700			-					Officers of the All India Services or Central Civil Services Group 'A' or Indian Economic Service/Indian Statistical Service/ Autonomous Organisations or Regulatory Authorities/ Universities./Academic/Res earch Institutions etc. with Master's Degree in Economics/ Statistics and working in analogous posts / grade or five years in the grade pay of Rs.7600 or ten	(i) Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by	
6. Joint	3(Three)*	Not	Rs. 37400-	Selection	Not	Not		Not applicable	Not applicable		years in the grade pay of Rs.6600 or equivalent, and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Economics By Deputation:	the Central Government - Member	Not applicat
Director- General (Law)	(2009) *Subject to variation dependent on work load	applicable	67000 + Grade Pay Rs. 8700		Applicable	applicable				short term contract	Eligibility: Essential: Officers of the All India Services/ Central Civil Services Group 'A'/ Indian Law Service/ Indian Corporate Law Service / Autonomous (Central /State Government) Organisations/ Regulatory Authorities/ Universities. Academic/Research / Judicial Institutions etc. having Degree in Law from	Committee consisting of: - (i) Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary-	
						-					a recognised university and working in analogous post or grade or five years in the grade pay of Rs.7600 or ten	Member (iii) Expert nominated by	

1	2	3	4 .	5	6.	7	8	9	10	. 11	12	13	14
	·				·						years in the grade pay of Rs.6600 or equivalent and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Law.	Government - Member	
7. Deputy Director- General (Financial Analysis)	4(Four) *(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.7600	Applicable	Not Applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable	short term contract	By Deputation: Essential: Officers from the All India Services / Central Civil Services / Group 'A'/ Autonomous Organisations/ Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/ Research Institutions etc. with a Master's Degree in Commerce/ Master's Degree in Business Administration with Finance and accounts / Chartered Accountant/ Company Secretary/ Cost and Works Accountant and working in analogous post / grade or five years service in the grade pay of Rs.6600 or equivalent, and having experience in Investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Law	Selection Committee consisting of:- (i) Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central Government - Member	Not applicable
8. Deputy Director- General (Economics)	8(Eight) (2009) *Subject to variation dependent	Not applicable	Rs.15600-39100 + -Grade Pay Rs.7600	Selection	Not Applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable	By deputation or short term contract	By Deputation: <u>Essential:</u> Officers from the All India Services / Central Civil Services Group 'A/ Indian	Selection Committee consisting of : - (i) Additional Secretary,	Not Applicable

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—Sec.

on work load on working in analogous post / grade or five years service on equivalent and having on work load on working in analogous post / grade or five years service on equivalent and having on experience in investigation under any exponenci law. Desirable: Experience in Competition Law. on on inated on working in analogous the level of Joi Secretary - on equivalent and having experience in investigation under any exponenci law. Desirable: Experience in Competition Law. on on inated for experience in Competition Law. on on inated for experience in Competition Law. on on inated for experience in Competition Law. on on inated for experience in Competition short term contract Committee Committee Committee Committee Committee Officers from the All India Services / Central Civil (i) Additional
Statistical Service/ Autonomous Organisations/ Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/ Research Institutions etc. with a Master's Degree in Economics/Statistics and working in analogous post / grade or five years service in the grade pay of Rs.6600 or equivalent and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Commission or equivalent and having experience in Competition Law. 9. Deputy Director- General 9. Deputy Sibject to Rs.15600-39100 Selection Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Affairs - Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of Commission of Commission of Commission or equivalent and having experience in Investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Law. Selection Selection Selection Selection Committee Selection Committee Selection Committee Committee Selection Committee Committee Selection Committee Com
Statistical Service/ Autonomous Organisations/ Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/ Research Institutions etc. with a Master's Degree in Economics/Statistics and working in analogous post / grade or five years service in the grade pay of Rs.6600 or equivalent and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Commission or equivalent and having experience in Competition Law. 9. Deputy Director- General 9. Deputy Sibject to Rs.15600-39100 Selection Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Applicable Affairs - Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of Commission of Commission of Commission or equivalent and having experience in Investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Law. Selection Selection Selection Selection Committee Selection Committee Selection Committee Committee Selection Committee Committee Selection Committee Com
dependent on work load dependent on work load dependent on work load load Services froup 'A' Indian Law Service / Indian Corporate Law Service / Autonomous Organisations / Regulatory Authorities/ Universities/ Academic/ Research/ Judicial Institutions etc. having Bachelor's Degree in Law from a recognised university and working in analogous post / grade or five years service in the Grade pay of Rs 6600 or equivalent. and having experience in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Member Services Group 'A' Indian Law Service / Autonomous Organisations / Autonomous Organisations / Autonomous Organisations / Autonomous Organisations / Autonomous Organisations / Autonomous Organisations / Autonomous Organisations / Alfairs - Chairman (ii) Representative of, Competition organisation india not below the level of Secretary - Member (iii) Expresimence in investigation under any economic law. Desirable: Experience in Competition Member

1 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1				ū					, ,	• •	' '-	'	'7
				723									
10. Deputy Director- General (Corporate Services)	1(One) *(2009) *Subject to variation dependent on work load	Not applicable	Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.7600		Not applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable	By deputation o short term contract	Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised university. Eligibility: Officers working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs.6600 or equivalent in the relevant field (Establishment / Personnel Management / Secretarial Practices /	Selection Committee consisting of : - (i) Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs - Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below	Not applicable
Director- General (Corporate	3(Three) *(2009) *Subject to variation	Not applicable	Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 6600	Selectión	Not applicable	Not applicable		Not applicable	Not applicable	By deputation of short term contract	Administration). Desirable: Higher qualification and experience will be given preference. By Deputation; Essential: Bachelor's Degree or equivalent in any discipline from a recognised	the level of Joint Secretary - Member (iii) Expert nominated by the Central Government - Member Selection Committee consisting of : (i) Joint Secretary,	Not applicable
Service)	dependent on work load										university. Eligibility: Officers working in analogous post / grade or five years experience in the grade pay of Rs.5400 or six years in the grade pay of Rs.4800 or seven years in the grade pay of Rs.4600 or ten years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent. In the relevant field (Establishment	Ministry of Corporate Affairs – Chairman (ii) Representative of, Competition Commission of India not below the level of Director Member (iii) Outside	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12. Office Manager (Corporate Service)	4(Four)*(200 9) *Subject to variation dependent on work load	applicable	Rs.9300-34800 + Grade pay Rs.5400	Selection	Not applicable	Not applicable	8	9 Not applicable		By deputation of short term contract	Administration). Desirable: Higher qualification and experience will be given preference. Officers working in analogous post / grade or two years experience in the grade pay of Rs.4800 or three years in the grade pay of Rs.4600 or eight years in the grade pay of Rs.4200 or equivalent in	necessary may be co-opted by the committee - Member Selection Committee consisting of : - (i) Joint Secretary, Ministry of Corporate	14 Not applicable
												India not below the level of Deputy Secretary - Member	

[F. No. 5/25/2007-IGC/CS]

P. D. SUDHAKAR, Spl. Secv.

Note:— The principal rules were published in the Gazette of Indian, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 338 (E), dated the 15th May, 2009 and subsequently amended vide notification number G.S.R. 439 (E), dated 23rd June, 2009.